

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
-: आदेश :-

नया रायपुर, दिनांक 19/01/2016

क्रमांक 1396/सम./ब-4/चार :- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|------|---|-----------|
| I. | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना एवं विकास निगम | - कन्वनिर |
| II. | विशेष सचिव, वित्त सह संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन सह संचालक, संस्थागत वित्त | - सदस्य |
| III. | संयुक्त सचिव (नियम शाखा), वित्त | - सदस्य |
| IV. | विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय) वित्त | - सचिव |

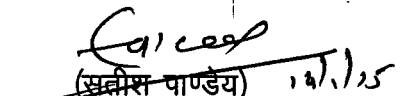

(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

दूरभाष क्र.0771-2510734

पृ. क्रमांक 1317/सम./ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 19/01/2016

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. सचिव/विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना एवं विकास निगम, रायपुर
4. विशेष सचिव, वित्त सह संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, सह संचालक, संस्थागत वित्त नया रायपुर
5. संयुक्त सचिव (नियम शाखा), वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
7. अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, समन्वय, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर समिति के सचिव होंगे।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ


(सतीश पाण्डेय) 19/1/15
संयुक्त सचिव
दूरभाष क्र.0771-2510734